राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4452/2024

उपाध्याय भास्कर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग एवं निदेशालय, राजस्थान, अजमेर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर, मिनी सचिवालय, बनी पार्क, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.12.2024
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग , अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 20.12.2024 के उस आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी राजकीय आयुर्वेद औषधालय, एस.एम.एस. जयपुर–बी के कार्यालय में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–ा के पद पर तैनात है, को थोड़े समय के भीतर जबरदस्ती राजकीय जिला आयुष चिकित्सालय, दूदू में स्थानांतरित/पदस्थापित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर वर्ष 2003 में विधिवत चयनित और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के रूप में नियुक्त किया गया था और राजकीय आयुर्वेद औषधालय, पाली में तैनात किया गया था, जहां से उन्हें 2009 में राजकीय आयुर्वेद औषधालय, प्रागपुरा, जयपुर में स्थानांतरित किया गया था, फिर उन्हें 2018 में अलवर स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां से उन्हें वर्ष 2019 में राजकीय आयुर्वेद औषधालय, काशीपुरा, जयपुर में स्थानांतरित किया गया था, जहां से उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2024 को सेवानिवृत्त किया गया था। अपीलार्थी ने एलोपैथी डॉक्टरों के लिए 62 वर्ष की आयु का दावा करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जिसे 28.02.2024 को अनुमति दी गई थी और माननीय न्यायालय ने 28.02.2024 को रिट

याचिका को अनुमति दी थी और यह माना था कि याचिकाकर्ता 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार है। (अनुलग्नक–2) न्यायालय के दिनांक 28.02.2024 के आदेश के बावजूद अपीलार्थी दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद उसने 331/2024 के रूप में अवमानना याचिका दायर की और उसके बाद दिनांक 12.11.2024 के आदेश द्वारा उसे सेवा में वापस बहाल कर दिया गया। (अनुलग्नक–3) दिनांक 12.11.02024 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 12.11.2024 को कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर में अपनी सेवाएं ग्रहण कर ली हैं। (अनुलग्नक–4) तत्पश्चात निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने दिनांक 19.11.2024 को एक आदेश जारी कर आयुष चिकित्सकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। (अनुलग्नक–5) आदेश दिनांक 19.11.2024 की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, एस.एम.एस. जयपुर–बी के कार्यालय में पदस्थापित किया गया है, जिसके अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2024 को उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 20.12.2024 को एक विवादित आदेश जारी किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रतिबंध अवधि के दौरान कार्य व्यवस्था के नाम पर 25 दिनों की अल्प अवधि के भीतर सरकारी जिला आयुष चिकित्सालय, दूदू में स्थानांतरित कर दिया गया है जो पूरी तरह से अवैध, मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। दिनांक 04.01.2023 के आदेश द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे दिनांक 08.02.2024 के आदेश द्वारा 10.02.2024 से 20.02.2024 तक केवल 10 दिनों के लिए खोला गया था और इसलिए अपीलार्थी को इस मामले में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिबंध अवधि के दौरान दिनांक 03.01.2024 के आदेश से स्पष्ट है कि कार्य व्यवस्था के नाम पर स्थानांतरित/तैनात किया गया था। (अनुलग्नक–7) कार्मिक विभाग ने दिनांक 22.09.2014 को एक आदेश जारी किया है जिसके द्वारा यह माना गया है कि कार्य व्यवस्था के नाम पर किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया जा सकता है। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड को कृपया मंगाया जावे और उसी के अवलोकन के बाद इस अपील को अनुमति दी जावे और अपीलार्थी के संबंध में दिनांक 20.12.2024 (अनुलग्नक–1) का आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–I, सरकारी आयुर्वेद औषधालय, एसएमएस जयपुर–बी के कार्यालय से राजकीय जिला, आयुष चिकित्सालय, दूदू में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य